(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 42/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 03 नवम्बर, 2019

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत –मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत कच्चा सोया तेल (एचएस कोड 1507 10 00) के आयात हेतु प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु परिशिष्ट 2 क में अनुलग्नक–II को शामिल करते है।

विवरण	एचएस कोड	एब्लूटीओ के अनुसार आगम / निर्गम कोटा दर (प्रतिशत)	भारतीय प्रशुल्क के अनुसार आगम कोटा दर (प्रतिशत)	सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना	पीटीए के तहत आवंटित प्रशुल्क दर कोटा
भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) के तहत पराग्वे से कच्चा सोया तेल	1507 10 00	लागू नहीं	10 प्रतिशत	दिनांक 30.05.2019 की अधिसूचना सं. 57 / 2009	30,000 मीट्रिक टन

2. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>
भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के तहत पराग्वे से 30,000 मीट्रिक टन कच्चा सोया तेल के आयात हेतु टीआरक्यू को निर्धारित किया जाता है।

अमित यादव
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं. 01 / 89 / 180 / विविध–25 / एएम–03 / पीसी–2(क) / ई–2248 / पी–335 से जारी)

अनुलग्नक–II

भारत–मर्कोसुर व्यापार समझौते के अंतर्गत कच्चा सोया तेल (एचएस कोड– 1507 10 00) के आयात हेतु प्रक्रिया।

(i) कच्चा सोया तेल के आयात की कुल मात्रा जिसका भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के अंतर्गत आयात किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी :

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तुओं का विवरण	भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के अंतर्गत आयात हेतु उपलब्ध कुल मात्रा
1.	1507 10 00	पराग्वे से कच्चा सोया तेल	30,000 मी. टन

(ii) इन आयातों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन अनुमत किया जाएगाः–

(क) आयात भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2007–सीमा शुल्क विभाग, दिनांक 30 मई, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(ख) सभी आवेदनों को पराग्वे में कच्चे सोया तेल के पात्र निर्यातकों में से एक निर्यातक के साथ किए गए एक पूर्व क्रय समझौते के साथ सलंग्न होना चाहिए। पूर्व क्रय समझौते में मात्रा और संविदा को पूरा करने की अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। पराग्वे से मद की पात्र निर्यातक इकाईयों की सूची का निर्धारण पराग्वे सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) आयात खेप की मंजूरी के समय भारत में आयातक को पराग्वे में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी उद्‌गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) इन आयातों से संबंधित वर्ष की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष होगी।

(ड.) आयात प्राधिकार पत्र प्रदान करने से संबंधित सभी आवेदन नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ईमेल import-dgft@nic.in के माध्यम से ही भेजे जाएंगे:

क्रम सं.	आवेदक का नाम और कार्यालय का पंजीकृत पता	आईईसी सं.	आयात की जाने वाली मद	आईटीसी (एचएस) कोड	आवेदित मात्रा (मीट्रिक टन)	सीआईएफ मूल्य (रु०) और फीस	आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके माध्यम से लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा, का नाम

च. आवेदित मात्रा के अध्यधीन पात्र आवेदक के बीच समान रुप से आबंटन किया जाएगा। दिनांक 15.03.2019 की व्यापार सूचना सं. 49 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित शुल्क के साथ एएनएफ 2ड और एएनएफ 1 में आवेदन आनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आगामी